

मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक साल के लिए बाहरी व्यक्तियों को नियुक्त किया बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर

ममता बनर्जी इस आदेश से अत्यंत विचलित हुई, क्योंकि वे किसी भी तरह से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं होने देना चाहती हैं प. बंगाल में

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 नवम्बर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस फैसले से झटका लगा है कि चुनावी कामकाज के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए बाहरी डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा स्टाफ को नियुक्ति की जाएगी।

वे बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में, वोटिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इलेक्शन बुथ बनाने के सी.ई.सी. के फैसले का भी विरोध कर रही हैं।

अगर ये कदम लागू होते हैं, तो ममता बनर्जी की बड़े पैमाने पर होने वाली चुनावी धांधली और डेटा में हेरफेर पर सीधा प्रहार होगा। यही वह मुख्य तरीका है, जिसके आधार पर ममता बनर्जी चुनाव प्रक्रिया पर पकड़ बनाए रखकर सत्ता में बनी हुई हैं।

ममता बनर्जी ने अपने मुस्लिम समर्थकों को आश्वासन दिया था कि पश्चिम बंगाल में न तो कोई एसआईआर

■ उन्होंने ब्लॉक लेवल अफसरों को भी उकसाया, सर की प्रक्रिया पूरी होने से रोकने के लिए। इन लोगों ने झंडा प्रदर्शन किए और प्रचारित किया कि ब्लॉक लेवल के अफसर काम के दबाव के कारण आत्महत्या कर रहे हैं।

■ बांग्लादेश से गैर कानूनी तरीके से भारत में आए लोग विशेष रूप से सर प्रक्रिया से भयभीत हैं, क्योंकि वे फर्जी कागजों के सहारे भारत में चल रही सभी स्क्रीमों का भरभूर लाभ ले रहे थे।

■ यह एक अपराध है। अतः बहुत सारे बांग्लादेशी अपने घरों पर ताला लगाकर बांग्लादेश जा चुके हैं और यह प्रक्रिया जारी है।

■ चुनाव आयुक्त ने यह भी व्यवस्था बैठवाई है कि बड़े-बड़े हाउसिंग कॉम्प्लैक्सों में मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जिनसे गैर कानूनी तरीके से आए बांग्लादेशियों की उपस्थिति साफ नज़र आएगी।

होगा और न ही मतदाता सूची में कोई से वादा किया था कि वे एस.आई.आर. संहिता, ऐसे किसी भी कदम का कड़ा

विरोध करेंगी। लेकिन अब उनके पास एस.आई.आर. को लागू होते देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इससे मुस्लिम वोट बैंक के कई हिस्से, खासकर वे लोग, जो सीमा पर से घुसपैठ कर आए थे, बेहद नाराज हैं।

यह मुद्दा उठते ही ममता बनर्जी ने इसे लागू करने का विरोध करने के लिए चारों तरफ से हमला बोल दिया है। उन्होंने नए प्रस्तावों का विरोध करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र भी लिखा है।

ममता बनर्जी ने अपने हमले का दायरा और बढ़ा दिया है। उन्होंने ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ), जो मतदाता सूची में ज़मीनी स्तर पर सुधार करते हैं, को भी भड़काया है कि वे अपने ऊपर काम के बढ़ते दबाव का विरोध करें। वे कह रही हैं कि बीएलओ अत्यधिक काम के दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं।

इसके अलावा, एसआईआर लागू (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘धारीवाल को हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के किस भाग पर आपत्ति है’

जयपुर, 24 नवंबर। प्रदेश के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसएलपी पर सुनवाई करते हुए धारीवाल के वकील कपिल सिब्बल से एक सप्ताह में यह बताने को

■ सुप्रीम कोर्ट ने धारीवाल के वकील से एक सप्ताह में जवाब मांगा।

कहा है कि उन्हें हाईकोर्ट के फैसले के किस भाग पर आपत्ति है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई आगे के लिये टाल दी है।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई भर्ती पर अभ्यर्थियों व आरपीएससी से हाई कोर्ट ने जवाब मांगा

जयपुर, 24 नवम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लोक मामले में राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए, एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे अभ्यर्थियों और आरपीएससी से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही, अदालत ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय और सदस्य मंजू शर्मा की ओर से दायर अपील पर भी पक्षकारों को जवाब देने को कहा है। वहीं, खंडपीठ ने मामले में 5 जनवरी को सुनवाई तय की है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष

■ राज्य सरकार की भर्ती रद्द नहीं करने की अपील पर सुनवाई 5 जनवरी को।

शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश मामले में दायर अपील याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि अपील में कहा गया कि पूरे भर्ती रद्द होने से इसका असर निर्दोष अभ्यर्थियों के जीवन पर पड़ रहा है। इसके अलावा, यदि जांच एजेंसियां भर्ती में सही और गलत की छंटनी कर सकती है तो कानूनन पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय और सदस्य मंजू शर्मा ने एकलपीठ की ओर से भर्ती रद्द करने के आदेश में उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को अपील में चुनौती दी है।

कैनडा के प्र.मंत्री कार्नी मोदी के निमंत्रण पर 2026 में दिल्ली आएंगे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 नवंबर। कैनडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।

दोनों नेताओं ने जून में कनानास्किस में हुए जी7 सम्मेलन के दौरान हुई पिछली मुलाकात के बाद द्विपक्षीय संबंधों में आई सकारात्मक प्रगति का स्वागत किया। साथ ही, उन्होंने अक्टूबर में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा घोषित नए द्विपक्षीय रोडमैप की भी सराहना की।

प्रधानमंत्री कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए, 2026 की शुरुआत में भारत आने पर सहमति जताई।

13 नवंबर 2025 को नई

■ दोनों प्रधानमंत्रियों ने नवंबर 2025 को हुए कॉन्ग्रीहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीपा) की प्रगति पर संतोष जताया और आशा की कि 2030 तक 70 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा दोनों देशों के मध्य।

■ प्रधानमंत्रियों ने कानून व्यवस्था के संबंध में दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान को भी आशाजनक बताया।

■ जैसा कि विदित ही है, अगस्त 2025 में काफी समय बाद, दोनों देशों ने हाई कमिश्नर नियुक्त किये थे, दोनों देशों की राजधानी में और तब से कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य सी होती जा रही है।

दिल्ली में हुई व्यापार और निवेश पर 7वीं मंत्री-स्तरीय वार्ता के आधार पर दोनों नेताओं ने एक महत्वाकांक्षी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते, कॉन्ग्रीहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीईपीए) के लिए विधिवत् वार्ता शुरू करने पर

सहमति जताई। इस समझौते में वस्तुएं, सेवाएं, निवेश, कृषि और कृषि-खाद्य, डिजिटल व्यापार, गतिशीलता और सतत विकास जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। दोनों नेताओं ने विश्वास जताया कि सीईपीए एक मजबूत आर्थिक

सहमति जताई। इस समझौते में वस्तुएं, सेवाएं, निवेश, कृषि और कृषि-खाद्य, डिजिटल व्यापार, गतिशीलता और सतत विकास जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। दोनों नेताओं ने विश्वास जताया कि सीईपीए एक मजबूत आर्थिक

में कमाई गई आय और लाभ पर यूके टैक्स नहीं लगता था, जब तक कि वह पैसा ब्रिटेन नहीं लाया जाता था। यही व्यवस्था लंदन में फैमिली ऑफिस स्थापित करने वाले वैश्विक उद्यमियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण थी। विदेशी निवेशकों के लिए इस व्यवस्था को खत्म करना और नए नियम लागू करना इस सवाल को ही बदल देता है कि क्या ब्रिटेन में रहना फायदेमंद है। रैमिटेस-बेस्ट टैक्सेशन का वह खास इंसेंटिव अब खत्म हो गया है, जो कभी यू.के. को यूरोप के अन्य उच्च-कर व्यवस्था (हाई-टैक्स कॉन्ट्रिब्यूटल सिस्टम) वाले देशों से अलग बनाता था। इससे भी बड़ा झटका इनहेरिटेस टैक्स को रैजिडेंस-आधारित बनाना है। मितल के सलाहकारों के अनुसार, यही सबसे गंभीर मुद्दा था। नए नियम के

तहत, जो भी व्यक्ति पिछले 20 टैक्स वर्षों में से 10 साल यूके में रहा है, उसकी दुनियाभर की संपत्ति पर 40 प्रतिशत इनहेरिटेस टैक्स लगेगा। बड़े इन्टरनैशनल एस्टेट, क्रॉस बॉर्डर ट्रस्ट और मल्टीनेशनल होल्डिंग्स वाले इन्वैस्टर्स के लिए यह बदलाव देश में लंबी अवधि के निवास को वित्तीय खतरा बना देता है। इनकम टैक्स और कैपिटल गेन्स की नई संरचना भी दबाव बढ़ाती है, क्योंकि विदेशी आय और लाभ पर चार साल की छूट (एफ.आई.जी. व्यवस्था) सिर्फ नए आने वालों के लिए है। मितल जैसे लंबे समय से रहने वाले लोगों को ग्लोबल इन्वैस्टेंट इंकम पर टैक्सेशन में तुरंत भारी बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अपने नब्बेवें जन्मदिन के दो सप्ताह पहले धर्मेन्द्र ने दुनिया से विदाई ली

लुधियाना के नसराली गाँव के ग्रामीण लड़के ने सदा स्वीकार किया कि उन्होंने दिलीप कुमार के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर फिल्मों में आने की ठानी थी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 नवंबर। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेन्द्र का मुंबई में निधन हो गया। दो सप्ताह बाद, उनका 90वाँ जन्मदिन मनाया जाना था। दो हफ्ते पहले भी मुंबई के एक अस्पताल में उनके निधन की झूठी खबर टीवी चैनलों पर चली थी, लेकिन वह फेक न्यूज़ साबित हुई।

धर्मेन्द्र से पहले भारतीय सिनेमा के

समाप्त नहीं हो रहा कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन का मसला

नयी दिल्ली, 24 नवंबर। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की मांग को लेकर खींचतान जारी है और छह से ज्यादा कांग्रेस विधायक रविवार देर शाम दिल्ली पहुंचे। पिछले एक सप्ताह से कांग्रेस विधायकों का दिल्ली आना जारी है।

सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक कांग्रेस में राजनीति इन दिनों काफी तेज हो चुकी

■ कर्नाटक के विधायकों का दिल्ली आना लगातार बना हुआ है।

है। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थक विधायक मुख्यमंत्री बदलने की मांग को लेकर दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान का दरवाजा खटखटा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में तीसरी बार ऐसा हुआ है, जब शिवकुमार गुट के विधायक दिल्ली आये हैं।

दिल्ली में जुटे सभी विधायक मुख्यमंत्री सिद्धार्थैया के खिलाफ असंतोष जता रहे हैं। विधायकों का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अरबपति लक्ष्मी मित्तल ने इंगलैंड की नागरिकता छोड़ कर स्विट्ज़रलैण्ड को अपना घर बनाया

इस परिवर्तन का मुख्य कारण है, इंगलैंड की नई लेबर सरकार ने देश की टैक्स व्यवस्था में नॉन डोमिसाइल इन्वेस्टर को मिल रही रैमिटेस का आधार बदल दिया है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 नवम्बर। स्टील उद्योग के दिग्गज लक्ष्मी मित्तल ने यूनाइटेड किंगडम में अपनी तीन दशक लंबी निवास अवधि (रेजिडेंसी) को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है।

नई लेबर सरकार की वजह से फिस्कल माहौल में आई बड़ी गड़बड़ी के जवाब में उन्होंने अपना टैक्स बेस यूके से बाहर खरीद से लेकर बड़े स्तर के सामाजिक कार्यों तक, उनकी मौजूदगी लंदन की हाई-प्रोफाइल दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए, उनका जाना सिर्फ व्यक्तिगत टैक्स निर्णय नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे यूके की विदेशी निवेशकों के बीच घटती स्थिरता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मित्तल और अन्य अमीर विदेशी भारतीय मूल के मित्तल, जो आर्सेलर मित्तल के संस्थापक हैं और 2025 संडे टाइम्स रिच लिस्ट में 15.444 बिलियन की अनुमानित संपत्ति के साथ आठवें स्थान पर रहे, 1995 से लंदन में अपने वैश्विक साम्राज्य का संचालन कर रहे थे। वे शहर के एलीट लोगों में शामिल थे। कैसिंटन पैलेस गार्डन्स में “ताज मित्तल” नाम के शानदार मेशन की खरीद से लेकर बड़े स्तर के सामाजिक कार्यों तक, उनकी मौजूदगी लंदन की हाई-प्रोफाइल दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए, उनका जाना सिर्फ व्यक्तिगत टैक्स निर्णय नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे यूके की विदेशी निवेशकों के बीच घटती स्थिरता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मित्तल और अन्य अमीर विदेशी

■ रैमिटेस व्यवस्था में हाई नेटवर्थ व्यक्तियों की ऑफ शोर इनकम पर टैक्स नहीं लगता था जब तक यह इनकम ब्रिटेन में ना लाई जाए।

■ यह एक सुविधा अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों को लंदन में ऑफिस खोलने की प्रोत्साहित करती थी। अब रेजिडेंस बेस्ट इनहेरिटेस टैक्स व्यवस्था लागू होने से जिन व्यक्तियों की रिहाइश बीस में से दस साल इंगलैंड रही है तो उनकी अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति पर दस प्रतिशत टैक्स लाज़मी हो गया है।

निवासियों के लिए सबसे बड़ा झटका लेबर सरकार द्वारा सदियों पुराने “नॉन-डॉमिसाइल” (गैर-निवासी) टैक्स नियम को खत्म करना और अप्रैल 2025 से उसकी जगह, कहीं अधिक सख्त व्यवस्था लागू करना था। यह

बदलाव डॉमिसाइल-आधारित प्रणाली से हटकर एक सख्त रेजिडेंस-आधारित टैक्स ढांचे की ओर एक बड़ा परिवर्तन है। पुराने नियम के तहत नॉन-डॉमिसाइल निवेशक “रैमिटेस बेसिस” का लाभ उठाते थे, जिसके तहत विदेश

13 नवंबर 2025 को नई

सहमति जताई। इस समझौते में वस्तुएं, सेवाएं, निवेश, कृषि और कृषि-खाद्य, डिजिटल व्यापार, गतिशीलता और सतत विकास जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। दोनों नेताओं ने विश्वास जताया कि सीईपीए एक मजबूत आर्थिक

13 नवंबर 2025 को नई

मोदी आज रामजन्म भूमि मंदिर जायेंगे

नई दिल्ली 24 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि देश

■ दोहर 12 बजे करीब वे रामजन्म भूमि मंदिर के शिखर पर भगवा झंडा फहरायेंगे।

के सामाजिक-सांस्कृतिक और आध्यात्मिक माहौल में यह एक विशिष्ट अवसर होगा।

मोदी सुबह सप्तमंदिर जाएंगे, जहां महर्षि विश्व, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषादराज गुहा और माता शबरी से जुड़े मंदिर हैं। इसके बाद वे शेषावतार मंदिर जाएंगे।

इसके बाद, प्रधानमंत्री माता अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे और राम दरबार गर्भ गृह में दर्शन तथा पूजा करेंगे। बाद में वह राम लला गर्भ गृह में दर्शन करेंगे। दोपहर करीब बारह बजे प्रधानमंत्री (शेष अंतिम पृष्ठ पर)